न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 230/2023
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

रामकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. लीलावती पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सोनम पुत्री श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 8.6.2023

वादी रामकुमार ने प्रतिवादीगण सोहनलाल वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता एवं प्रतिवादीया सं. 3 वादी की बहिन है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.772 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right)

लगातार --2

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल भगतपुरा

निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 3 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 4 बी.जी.पी. में प्राप्त कर ली है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 व 3 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को घरु तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) **वादी रामकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादीया सं. 2 लीलावती पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.507 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन

लगातार --3

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल अमरपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य. प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.772 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 6 बी. जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी

लगातार --4

प्रशासन ... संग अभियान 2023
... (SDO)
शिविर स्थल भगतपुरा

सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.772 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.265 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.507 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
शिविर स्थल भगतपुरा
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 230/2023

रामकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. लीलावती पत्नी श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सोनम पुत्री श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 8.6.2023..

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 126/103 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.772 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.265 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.507 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X...... निल ....X...... मुब्लिक .....X.........निल ....X..... बाबत् ....X....... निल.......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ...8.6.2023.... को जारी किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया